(.63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/इंदौर/भू.रा./2017/3095 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2017 पारित द्वारा आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 365/अपील/2016–17.

रमेशचन्द्र पिता मोडीराम जाट
निवासी ग्राम शेरपुर तहसील महू
जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

नन्दकिशोर पिता कनीराम जाट
निवासी शेरपुर तहसील महू
जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री अमित राज, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व की ग्राम शेरपुर तहसील महू जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 20, 21 व 31/3 है,

उक्त भूमि पर जाने हेतु परम्परागत रास्ता था जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 16–3–2017 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–5–2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–8–2017 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं कराया जाकर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत स्वयं तहसीलदार को स्थल निरीक्षण कर आदेश पारित करना चाहिये था । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत रास्ता परम्परागत रास्ता होना प्रमाणित नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के लिये शासकीय रास्ता उपलब्ध है इस स्थिति पर भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा आवेदक को क्षतिपूर्ति वहन करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता पाते हुये रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि तहसीलदार द्वारा विधिसंगत

आदेश पारित किया गया था अतः उसकी पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा को त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं किये जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त तीनों न्यायालयों ने मात्र स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर रास्ता खुलवाने के आदेश दिये हैं । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदक को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत रास्ते का रूढिगत होना भी देखा जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये । 1994 आरएन 43 में यह स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है कि रास्ते का रूढिगत होना मौखिक साक्ष्य में प्रमाणित किया जाना चाहिये । इस प्रकरण में वरिष्ठ न्यायालयों ने भी आवेदक के इस अधिकार की अनदेखी की है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2017, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डा0 अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2017 एवं नायब तहसीलदार टप्पा मानपुर तहसील महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2017 निरस्त किये जाते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर